

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
कार्यालय आदेश

आदेश संख्या-05/स्था. 256/2007(खण्ड) 223

पटना/दिनांक- 18.01.2014

पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित मानक स्तर से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों विशेषकर सिटी राईड बसों एवं किरोसिन तेल मिश्रित डीजल/पेट्रोल से परिचालित ऑटो रिक्शा/श्री व्हील्स एवं विशेष तौर पर बच्चों को ढोने वाले /ओभर लोडेड एवं प्रदूषण फैलाने वाले सभी प्रकार के स्कूल वाहनों का सघन जाँच हेतु निम्नांकित मोटरयान निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

क्र.सं.	मोटरयान निरीक्षक का नाम	पदस्थापन जिला	प्रतिनियुक्ति की अवधि
1	2	3	4
1	श्री सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी	खगड़िया	20.01.2014 से 21.01.2014 तक एवं 31.01.2014 से 01.02.2014 तक
2	श्री सुजीत कुमार	सहरसा	20.01.2014 से 21.01.2014 तक एवं 31.01.2014 से 01.02.2014 तक
3	श्री विनोद कुमार	बाँका	20.01.2014 से 21.01.2014 तक एवं 31.01.2014 से 01.02.2014 तक
4	श्री कुमार विवेक	कटिहार	22.01.2014 से 23.01.2014 तक एवं 29.01.2014 से 30.01.2014 तक
5	श्री संजय कुमार	जमुई	22.01.2014 से 23.01.2014 तक एवं 29.01.2014 से 30.01.2014 तक
6	श्री राजीव रंजन	समस्तीपुर	22.01.2014 से 23.01.2014 तक एवं 29.01.2014 से 30.01.2014 तक
7	श्री संजीव कुमार सिंह	मुंगेर	24.01.2014 से 25.01.2014 तक एवं 05.02.2014 से 06.02.2014 तक
8	श्री उपेन्द्र राव	मधेपुरा	24.01.2014 से 25.01.2014 तक एवं 05.02.2014 से 06.02.2014 तक
9	श्री संतोष कुमार सिंह	भागलपुर	24.01.2014 से 25.01.2014 तक एवं 05.02.2014 से 06.02.2014 तक
10	श्री अजय कुमार	मुजफ्फरपुर	27.01.2014 से 28.01.2014 तक एवं 03.02.2014 से 04.02.2014 तक
11	श्री विनोद कुमार सिंह	नवादा	27.01.2014 से 28.01.2014 तक एवं 03.02.2014 से 04.02.2014 तक
12	श्री दिलीप कुमार	सुपौल	27.01.2014 से 28.01.2014 तक एवं 03.02.2014 से 04.02.2014 तक

2. उपर्युक्त सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में पूर्वाह्न 10.00 बजे योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

3. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना संबंधित मोटरयान निरीक्षकों एवं प्रशिक्षु प्रवर्तन अवर निरीक्षक जो जिला परिवहन कार्यालय, पटना में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, को प्रत्येक दल के साथ पटना शहरी क्षेत्र में निर्धारित स्थल पर आवश्यकतानुसार अपने स्तर से वाहन जाँच हेतु प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना/दिनांक-

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि: प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/ सहरसा/मुजफ्फरपुर/मुंगेर/दरभंगा/पूर्णिया एवं पटना/जिला पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, बाँका, खगड़िया, जमुई, सुपौल, समस्तीपुर, भागलपुर, नवादा, कटिहार, खगड़िया एवं पटना/ सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षक/ आई0टी0 मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना/दिनांक- 18.01.2014

ज्ञापांक- 323

प्रतिलिपि : वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक (यातायात) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।